फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

अनवानः– **कोटेक महिन्द्रा बैंक बनाम कुलदीप सोनी**

किस्म मुकदमाः– प्रा. पत्र सरफैसी **पत्रावली संख्या 214/23** सनः– 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।
	06.08.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता/अधिकृत अधिकारी प्रार्थी कोटेक महिन्द्रा बैंक द्वारा एक विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी तथा विपक्षी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इस कारण प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र विड्रो फरमाया जावे। प्रकरण मे उपस्थित अधिवक्ता/अधिकृत अधिकारी को सुना गया, जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि अब प्रार्थी बैंक विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी बैंक को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तथा विपक्षी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। प्रार्थी बैंक अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार हो। **(नमित मेहता)** **जिला मजिस्ट्रेट** **उदयपुर**	